THE RESEARCH DIALOGUE
An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal
ISSN: 2583-438X
© The Research Dialogue | Volume-05 | Issue-02 | July-2026
Available online at: https://theresearchdialogue.com/
DOI : https://doi.org/10.64880/theresearchdialogue.v5i2.38

राजस्थान विधानसभा में राजनीतिक अस्थिरता के कारक: दल-बदल, गुटबंदी और सत्ता-संघर्ष का अध्ययन

नितिन कुमार मीना
शोधार्थी, जयोति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर

सारांश:

राजस्थान की राजनीति में समय-समय पर उत्पन्न होने वाली राजनीतिक अस्थिरता ने राज्य की शासन-व्यवस्था, नीति-निर्माण तथा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को प्रभावित किया है। प्रस्तुत शोध आलेख राजस्थान विधानसभा में राजनीतिक अस्थिरता के प्रमुख कारकों—दल-बदल, गुटबंदी तथा सत्ता-संघर्ष—का विश्लेषण करता है। अध्ययन का उद्देश्य यह समझना है कि राजनीतिक दलों के भीतर और उनके मध्य उत्पन्न होने वाले शक्ति-संघर्ष किस प्रकार सरकारों की स्थिरता, विधायी कार्यप्रणाली तथा जनप्रतिनिधित्व को प्रभावित करते हैं। शोध में ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति का उपयोग करते हुए राजस्थान की विभिन्न विधानसभाओं में घटित प्रमुख राजनीतिक घटनाओं, नेतृत्व संघर्षों तथा दलगत पुनर्संरचनाओं का परीक्षण किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ, दलों के भीतर नेतृत्व संबंधी मतभेद तथा सत्ता प्राप्ति की प्रतिस्पर्धा राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा देने वाले प्रमुख तत्व हैं। निष्कर्षतः, आंतरिक लोकतंत्र की सुदृढ़ता तथा दल-बदल विरोधी प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन से राजनीतिक स्थिरता को सशक्त किया जा सकता है।

मुख्य शब्द- राजस्थान विधानसभा, राजनीतिक अस्थिरता, दल-बदल, गुटबंदी, सत्ता-संघर्ष, लोकतंत्र, राजनीतिक दल, शासन-व्यवस्था।

1. परिचय

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक स्थिरता को सुशासन, नीति-निर्माण तथा विकासात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक आवश्यक पूर्वशर्त माना जाता है। किसी भी राज्य की राजनीतिक व्यवस्था तभी प्रभावी रूप से कार्य कर सकती है जब उसके भीतर सत्ता का हस्तांतरण संवैधानिक मर्यादाओं के अनुरूप हो तथा राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय बना रहे। भारत के संघीय ढाँचे में राज्यों की राजनीति राष्ट्रीय राजनीति से गहराई से प्रभावित होती है, किंतु प्रत्येक राज्य की अपनी विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितियाँ, सामाजिक संरचनाएँ तथा नेतृत्व संबंधी गतिशीलताएँ भी होती हैं। राजस्थान, जो भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, स्वतंत्रता के पश्चात् से ही विविध राजनीतिक प्रयोगों, नेतृत्व संघर्षों और सत्ता परिवर्तन की प्रक्रियाओं का साक्षी रहा है (कश्यप, 2019)।

राजस्थान की राजनीति मुख्यतः द्विदलीय प्रतिस्पर्धा पर आधारित रही है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा भारतीय जनता पार्टी का प्रभुत्व देखा जाता है। यद्यपि राज्य में सरकारों का गठन सामान्यतः स्पष्ट जनादेश के आधार पर हुआ है, तथापि विभिन्न अवधियों में दल-बदल, आंतरिक गुटबंदी तथा नेतृत्व संबंधी संघर्षों ने राजनीतिक अस्थिरता की स्थितियाँ उत्पन्न की हैं। विशेष रूप से 1967 के बाद भारतीय राजनीति में गठबंधन राजनीति

और दलीय पुनर्संरेखण की प्रवृत्तियों ने राज्य स्तर पर भी प्रभाव डाला, जिसके परिणामस्वरूप राजनीतिक निष्ठाओं में परिवर्तन तथा सत्ता संतुलन को लेकर संघर्ष बढ़े (यादव, 2017)। राजस्थान में समय-समय पर उत्पन्न हुए राजनीतिक संकटों ने यह स्पष्ट किया है कि केवल चुनावी बहुमत ही राजनीतिक स्थिरता की गारंटी नहीं है, बल्कि दलों की आंतरिक एकता तथा नेतृत्व की स्वीकार्यता भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण है।

राजस्थान भारत के संविधान के अंतर्गत संचालित एक पूर्ण राज्य है, जहाँ संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली लागू है। राज्य की विधायिका एकसदनीय है, जिसे राजस्थान विधानसभा कहा जाता है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार विधानसभा में 200 निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुने जाते हैं। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होते हैं, जबकि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका का संचालन करते हैं (भारत का संविधान, 2024)। राज्य की राजनीतिक संरचना संघीय सिद्धांतों तथा संसदीय परंपराओं पर आधारित है, जहाँ सरकार का अस्तित्व विधानसभा में बहुमत के समर्थन पर निर्भर करता है।

राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की केंद्रीय भूमिका रही है। स्वतंत्रता के पश्चात् प्रारंभिक दशकों में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा, किंतु 1990 के दशक के बाद भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त विकल्प के रूप में उभरी। परिणामस्वरूप राज्य में द्विदलीय प्रतिस्पर्धा की स्पष्ट प्रवृत्ति विकसित हुई, जिसमें सत्ता का परिवर्तन प्रायः इन दोनों दलों के बीच होता रहा है (जाफ्रेलोट, 2018)। यद्यपि राज्य में क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों की उपस्थिति भी रही है, फिर भी सरकार गठन और नीति-निर्माण में राष्ट्रीय दलों का प्रभाव अधिक रहा है।

राजस्थान की राजनीति का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष सामाजिक एवं क्षेत्रीय समीकरणों का प्रभाव है। जातीय समूहों, क्षेत्रीय पहचान, नेतृत्व व्यक्तित्व तथा स्थानीय हितों ने राजनीतिक व्यवहार को निरंतर प्रभावित किया है। इन कारकों के कारण राजनीतिक दलों के भीतर विभिन्न शक्ति-केंद्र विकसित हुए, जिन्होंने कई अवसरों पर गुटबंदी और नेतृत्व संघर्ष को जन्म दिया। इस प्रकार राजस्थान की राजनीतिक संरचना केवल संवैधानिक संस्थाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक, क्षेत्रीय और दलीय शक्तियों के जटिल अंतर्संबंधों से भी निर्मित होती है (कोठारी, 2016)।

राजनीतिक अस्थिरता से आशय ऐसी स्थिति से है जिसमें शासन व्यवस्था, राजनीतिक नेतृत्व अथवा दलीय संरचना निरंतर परिवर्तन, संघर्ष या अनिश्चितता की स्थिति में हो। सामान्यतः राजनीतिक अस्थिरता तब उत्पन्न होती है जब सरकारें अपना कार्यकाल पूरा करने में असफल रहती हैं, सत्ता परिवर्तन बार-बार होते हैं, या राजनीतिक दलों के भीतर गंभीर मतभेद एवं विभाजन उभर आते हैं। राजनीतिक विज्ञान के विद्वानों के अनुसार राजनीतिक स्थिरता किसी व्यवस्था की वह क्षमता है जिसके माध्यम से वह सामाजिक एवं राजनीतिक चुनौतियों का सामना करते हुए संस्थागत निरंतरता बनाए रखती है, जबकि अस्थिरता इस क्षमता के क्षरण को दर्शाती है (हंटिंगटन, 1968/हिंदी संस्करण)। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक अस्थिरता अनेक रूपों में दिखाई देती है, जैसे दल-बदल, गठबंधन विघटन, नेतृत्व परिवर्तन, अविश्वास प्रस्ताव, दलीय विभाजन तथा सत्ता-संघर्ष। ये सभी प्रक्रियाएँ शासन की प्रभावशीलता, नीति-निर्माण की निरंतरता तथा जनविश्वास को प्रभावित करती हैं। राजनीतिक अस्थिरता का प्रभाव केवल सरकार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह आर्थिक विकास, प्रशासनिक दक्षता और सामाजिक समरसता पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है (अरोड़ा एवं गोयल, 2020)।

2. सैद्धान्तिक एवं वैचारिक परिप्रेक्ष्य

2.1 राजनीतिक स्थिरता एवं अस्थिरता: अर्थ और स्वरूप

राजनीतिक स्थिरता किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रभावशीलता, वैधता तथा दीर्घकालिक विकास का आधार मानी जाती है। राजनीतिक स्थिरता से अभिप्राय ऐसी स्थिति से है जिसमें शासन संस्थाएँ नियमित रूप से कार्य करती हैं, सत्ता का हस्तांतरण संवैधानिक प्रक्रियाओं के अनुरूप होता है तथा राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने में सक्षम होती है। स्थिर राजनीतिक व्यवस्था नागरिकों में विश्वास उत्पन्न करती है तथा शासन की निरंतरता को सुनिश्चित करती है। दूसरी ओर, राजनीतिक अस्थिरता उस स्थिति को दर्शाती है जिसमें सरकारों,

राजनीतिक दलों या नेतृत्व संरचनाओं के भीतर निरंतर संघर्ष, अनिश्चितता अथवा परिवर्तन की प्रवृत्ति विद्यमान हो। ऐसी परिस्थितियों में नीति-निर्माण की प्रक्रिया बाधित होती है तथा प्रशासनिक कार्यकुशलता प्रभावित होती है (हंटिंगटन, 1968; आलम, 2015)।

राजनीतिक विज्ञान के विद्वानों ने स्थिरता और अस्थिरता को विभिन्न दृष्टिकोणों से परिभाषित किया है। सैमुअल पी. हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक स्थिरता का संबंध संस्थागत विकास और राजनीतिक भागीदारी के मध्य संतुलन से है। जब राजनीतिक संस्थाएँ सामाजिक परिवर्तन और बढ़ती राजनीतिक अपेक्षाओं को समायोजित करने में असफल रहती हैं, तब अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होती है (हंटिंगटन, 1968)। इसी प्रकार ईस्टन के राजनीतिक प्रणाली सिद्धान्त में स्थिरता को व्यवस्था की अनुकूलन क्षमता और वैधता से जोड़ा गया है (ईस्टन, 1965)। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक अस्थिरता प्रायः नेतृत्व परिवर्तन, दलीय विभाजन, गठबंधन संकट, दल-बदल तथा सत्ता संघर्ष के रूप में दिखाई देती है। राजस्थान जैसे राज्यों में, जहाँ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र है, राजनीतिक स्थिरता केवल चुनावी बहुमत पर निर्भर नहीं करती, बल्कि दलों की आंतरिक एकता, नेतृत्व की स्वीकार्यता और संस्थागत अनुशासन पर भी आधारित होती है।

2.2 दल-बदल का सिद्धान्त

दल-बदल (Defection) लोकतांत्रिक राजनीति की एक महत्त्वपूर्ण तथा विवादास्पद प्रक्रिया है, जिसमें कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि या राजनीतिक नेता अपने मूल राजनीतिक दल को छोड़कर किसी अन्य दल में सम्मिलित हो जाता है अथवा अपने दल के आधिकारिक रुख के विरुद्ध कार्य करता है। दल-बदल की प्रवृत्ति राजनीतिक अवसरवाद, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, वैचारिक मतभेद अथवा सत्ता प्राप्ति की आकांक्षा से प्रेरित हो सकती है। भारतीय राजनीति में दल-बदल की समस्या विशेष रूप से 1967 के आम चुनावों के बाद गंभीर रूप से उभरकर सामने आई, जब अनेक राज्यों में निर्वाचित प्रतिनिधियों ने बार-बार राजनीतिक दल बदले और सरकारों की स्थिरता को प्रभावित किया (चंद्रा, 2017)।

दल-बदल के सिद्धान्त को समझने के लिए तर्कसंगत विकल्प सिद्धान्त (Rational Choice Theory) उपयोगी माना जाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार राजनीतिक अभिनेता अपने व्यक्तिगत हितों, राजनीतिक लाभों तथा सत्ता की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेते हैं (डाउन्स, 1957)। जब किसी जनप्रतिनिधि को यह प्रतीत होता है कि दल परिवर्तन से उसकी राजनीतिक स्थिति अधिक सुदृढ़ होगी, तब वह दल-बदल का विकल्प चुन सकता है। दूसरी ओर, संस्थागत दृष्टिकोण यह मानता है कि कमजोर दलीय संरचना, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव तथा अनुशासनहीनता दल-बदल को बढ़ावा देती है (कश्यप, 2019)। भारत में इस समस्या से निपटने के लिए संविधान के 52वें संशोधन (1985) द्वारा दसवीं अनुसूची के अंतर्गत दल-बदल विरोधी कानून लागू किया गया, जिसका उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता को सुदृढ़ करना था। तथापि व्यवहार में अनेक राजनीतिक घटनाएँ यह संकेत देती हैं कि कानूनी प्रावधानों के बावजूद दल-बदल की प्रवृत्ति विभिन्न रूपों में बनी हुई है।

2.3 गुटबंदी की राजनीतिक अवधारणा

गुटबंदी (Factionalism) राजनीतिक दलों अथवा संगठनों के भीतर ऐसे समूहों के गठन को संदर्भित करती है जो नेतृत्व, नीति अथवा संसाधनों के वितरण को लेकर परस्पर प्रतिस्पर्धा करते हैं। राजनीतिक दलों के भीतर गुटों का अस्तित्व लोकतांत्रिक विमर्श का एक सामान्य पक्ष हो सकता है, किंतु जब ये गुट संगठनात्मक एकता और दलीय अनुशासन को प्रभावित करने लगते हैं, तब वे राजनीतिक अस्थिरता का कारण बन जाते हैं। गुटबंदी का संबंध केवल वैचारिक मतभेदों से नहीं होता, बल्कि यह व्यक्तिगत नेतृत्व, क्षेत्रीय पहचान, जातीय समीकरणों तथा राजनीतिक संरक्षण के नेटवर्क से भी जुड़ा होता है (कोठारी, 1970)। भारतीय राजनीति में गुटबंदी की प्रवृत्ति लंबे समय से विद्यमान रही है। राजनी कोठारी ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के विश्लेषण में यह तर्क दिया कि राजनीतिक दलों के भीतर विभिन्न शक्ति-केंद्रों का निर्माण भारतीय लोकतंत्र की एक प्रमुख विशेषता है (कोठारी, 1970)। राजस्थान की राजनीति में भी विभिन्न राजनीतिक दलों के भीतर समय-समय पर गुटीय प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती रही है। कई अवसरों पर मुख्यमंत्री पद, संगठनात्मक नेतृत्व तथा टिकट वितरण जैसे मुद्दों ने गुटबंदी को प्रोत्साहित किया है। गुटबंदी का प्रभाव केवल दलों की आंतरिक संरचना

तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह सरकार की कार्यक्षमता, नीति-निर्माण तथा राजनीतिक स्थिरता को भी प्रभावित करता है। इस प्रकार गुटबंदी को राजनीतिक अस्थिरता के एक संरचनात्मक कारण के रूप में देखा जा सकता है।

2.4 सत्ता-संघर्ष एवं नेतृत्व प्रतिस्पर्धा

लोकतांत्रिक राजनीति में सत्ता-संघर्ष (Power Struggle) और नेतृत्व प्रतिस्पर्धा राजनीतिक प्रक्रियाओं के स्वाभाविक अंग हैं। सत्ता-संघर्ष से अभिप्राय उन परिस्थितियों से है जिनमें विभिन्न राजनीतिक नेता, गुट या दल राजनीतिक शक्ति, संसाधनों और निर्णय लेने की क्षमता पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करते हैं। नेतृत्व प्रतिस्पर्धा का उद्देश्य राजनीतिक संगठन या सरकार में सर्वोच्च प्रभाव प्राप्त करना होता है। सामान्य परिस्थितियों में यह प्रतिस्पर्धा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सशक्त बना सकती है, किंतु जब यह व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता, अविश्वास अथवा संगठनात्मक विभाजन का रूप धारण कर लेती है, तब राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है (वेबर, 1947)।

मैक्स वेबर ने नेतृत्व को वैध सत्ता के प्रमुख स्रोतों में से एक माना है तथा यह प्रतिपादित किया कि राजनीतिक नेतृत्व की वैधता राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता के लिए आवश्यक है (वेबर, 1947)। जब किसी राजनीतिक दल या सरकार के भीतर नेतृत्व की वैधता को चुनौती दी जाती है, तब सत्ता-संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। भारतीय राज्यों की राजनीति में नेतृत्व प्रतिस्पर्धा अनेक बार सरकारों के संकट का कारण बनी है। राजस्थान में भी विभिन्न अवधियों में मुख्यमंत्री पद, संगठनात्मक नियंत्रण तथा दलीय नेतृत्व को लेकर उत्पन्न संघर्षों ने राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया है। सत्ता-संघर्ष की प्रक्रिया में राजनीतिक दलों के भीतर विभाजन, असंतोष तथा शक्ति-संतुलन के प्रश्न प्रमुख रूप से उभरते हैं, जो लोकतांत्रिक संस्थाओं के कार्यकलापों को प्रभावित करते हैं।

3. राजस्थान विधानसभा में दल-बदल की प्रवृत्ति

दल-बदल भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति की एक ऐसी प्रवृत्ति है, जिसमें निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपने राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग देते हैं, किसी अन्य दल में शामिल हो जाते हैं अथवा सदन में अपने दल के निर्देशों के विपरीत मतदान करते हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में राजनीतिक दल प्रतिनिधिक शासन के प्रमुख आधार होते हैं; अतः दल-बदल को राजनीतिक नैतिकता, दलीय अनुशासन तथा जनादेश के प्रति उत्तरदायित्व से जुड़ा विषय माना जाता है। भारत में 1960 और 1970 के दशकों में व्यापक स्तर पर हुए राजनीतिक दल-परिवर्तनों ने अनेक राज्य सरकारों को अस्थिर किया, जिसके परिणामस्वरूप दल-बदल को नियंत्रित करने हेतु संवैधानिक उपायों की आवश्यकता अनुभव की गई।

इसी उद्देश्य से संविधान (बावनवाँ संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची (Tenth Schedule) जोड़ी गई, जिसे सामान्यतः "दल-बदल विरोधी कानून" कहा जाता है। इस कानून के अनुसार यदि कोई विधायक स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता त्याग देता है अथवा सदन में पार्टी व्हिप के विरुद्ध मतदान करता है, तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। वर्ष 2003 में 91वें संविधान संशोधन द्वारा कानून को और अधिक कठोर बनाया गया तथा एक-तिहाई सदस्यों द्वारा किए गए विभाजन (Split) को संरक्षण देने वाला प्रावधान समाप्त कर दिया गया। वर्तमान व्यवस्था में केवल दो-तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित विलय (Merger) को ही वैध माना जाता है। विधायकों की अयोग्यता का निर्णय विधानसभा अध्यक्ष द्वारा लिया जाता है, यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने *किहोटो होल्लोहन बनाम जाचिल्हू* (1992) मामले में स्पष्ट किया कि अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। राजस्थान विधानसभा में भी दल-बदल संबंधी विवाद समय-समय पर उत्पन्न होते रहे हैं। राज्य की राजनीति में दलीय अनुशासन, नेतृत्व संघर्ष तथा सत्ता संतुलन से जुड़े प्रश्नों ने कई अवसरों पर दल-बदल विरोधी कानून की व्याख्या और उसकी सीमाओं को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। विशेष रूप से वर्ष 2020 के राजनीतिक संकट ने यह प्रश्न उठाया कि क्या किसी दल के भीतर असहमति व्यक्त करना दल-बदल की श्रेणी में आता है अथवा यह लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति का हिस्सा है।

3.1 राजस्थान में प्रमुख दल-बदल की घटनाएँ

राजस्थान की राजनीति में दल-बदल की प्रवृत्ति स्वतंत्रता के बाद विभिन्न चरणों में दिखाई देती रही है। 1967 के बाद जब भारतीय राजनीति में कांग्रेस के एकाधिकार का क्षरण प्रारम्भ हुआ, तब राजस्थान सहित अनेक राज्यों में विधायकों के राजनीतिक निष्ठा परिवर्तन की घटनाएँ बढ़ीं। इस अवधि में सत्ता प्राप्ति और सरकार गठन के लिए राजनीतिक पुनर्संरेखण एक सामान्य प्रक्रिया बन गया था। यद्यपि राजस्थान में अन्य राज्यों की तुलना में बड़े पैमाने पर दल-बदल अपेक्षाकृत कम रहा, फिर भी सत्ता संतुलन के समय यह एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक कारक के रूप में उभरा। (कश्यप, 2019)

राजस्थान की राजनीति में वर्ष 2020 का राजनीतिक संकट दल-बदल संबंधी बहस का सबसे चर्चित उदाहरण माना जाता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट तथा उनके समर्थक विधायकों द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व के विरुद्ध असंतोष व्यक्त किए जाने से राज्य में गंभीर राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा कुछ विधायकों को अयोग्यता नोटिस जारी किए गए, जिसके बाद मामला राजस्थान उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचा। इस प्रकरण ने दल-बदल विरोधी कानून, दलीय असहमति तथा लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति की सीमाओं को लेकर व्यापक संवैधानिक बहस को जन्म दिया। अंततः यह संकट राजनीतिक समझौते के माध्यम से समाप्त हुआ, किंतु इसने राजस्थान की राजनीति में नेतृत्व संघर्ष और दलीय विभाजन की संभावनाओं को उजागर कर दिया।

इसके अतिरिक्त बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के कुछ विधायकों के कांग्रेस में विलय का प्रश्न भी राजस्थान की राजनीति में दल-बदल संबंधी विवादों का विषय रहा है। इस प्रकार की घटनाएँ यह दर्शाती हैं कि राजनीतिक दलों के बीच शक्ति संतुलन और सरकार की स्थिरता बनाए रखने के लिए विधायकों की निष्ठा एक महत्त्वपूर्ण कारक बनी रहती है।

3.2 दल-बदल के राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रभाव

दल-बदल का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव राजनीतिक स्थिरता पर पड़ता है। जब निर्वाचित प्रतिनिधि अपने दल का समर्थन छोड़ते हैं या नेतृत्व के विरुद्ध खड़े होते हैं, तब सरकार के बहुमत पर प्रश्नचिह्न लग सकता है। ऐसी परिस्थितियों में राजनीतिक अनिश्चितता उत्पन्न होती है तथा सरकार को अपना अधिकांश समय सत्ता बचाने में व्यतीत करना पड़ता है। परिणामस्वरूप विकास योजनाओं, नीति-निर्माण तथा प्रशासनिक निर्णयों की प्रक्रिया प्रभावित होती है। (यादव, 2017) राजस्थान के संदर्भ में भी राजनीतिक संकटों के दौरान प्रशासनिक तंत्र पर प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा गया है। राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में नौकरशाही निर्णय लेने में सावधानी बरतती है, क्योंकि नेतृत्व परिवर्तन की संभावना से नीतिगत निरंतरता प्रभावित हो सकती है। इसके अतिरिक्त मंत्रिपरिषद के भीतर असहमति और नेतृत्व संघर्ष प्रशासनिक दक्षता को कम कर सकते हैं। वर्ष 2020 के राजनीतिक संकट के दौरान भी राज्य की राजनीति का प्रमुख ध्यान सत्ता संतुलन और विधायकों की निष्ठा पर केंद्रित रहा, जिससे शासन संबंधी मुद्दे कुछ समय के लिए द्वितीयक हो गए।

दल-बदल लोकतांत्रिक मूल्यों को भी प्रभावित करता है। मतदाता सामान्यतः किसी दल की विचारधारा, नेतृत्व और घोषणापत्र के आधार पर मतदान करते हैं। जब निर्वाचित प्रतिनिधि चुनाव के बाद अपनी राजनीतिक निष्ठा बदलते हैं, तब जनादेश की मूल भावना प्रभावित होती है। इससे जनता का राजनीतिक संस्थाओं और प्रतिनिधियों के प्रति विश्वास कम हो सकता है। दूसरी ओर, कुछ विद्वान यह तर्क भी देते हैं कि यदि दलों के भीतर लोकतांत्रिक संवाद का अभाव हो, तो असहमति व्यक्त करने का अधिकार विधायकों के पास होना चाहिए। इस प्रकार दल-बदल और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के मध्य संतुलन स्थापित करना एक जटिल राजनीतिक चुनौती है।

3.3 दल-बदल विरोधी कानून की प्रभावशीलता

दल-बदल विरोधी कानून का मूल उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देना तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा अवसरवादी राजनीतिक व्यवहार को नियंत्रित करना था। इस दृष्टि से देखा जाए तो कानून ने व्यक्तिगत स्तर पर होने वाले दल-बदल को काफी हद तक सीमित किया है तथा राजनीतिक दलों में अनुशासन बनाए रखने में सहायता की है। 1985 के बाद से खुले रूप में होने वाले व्यक्तिगत दल-बदल की घटनाओं में कमी आई है, जो इस कानून की एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है।

इसके बावजूद इस कानून की प्रभावशीलता को लेकर अनेक प्रश्न उठाए जाते रहे हैं। आलोचकों का मत है कि यह कानून निर्वाचित प्रतिनिधियों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति और विवेकाधिकार को सीमित करता है। कई मामलों में दल-बदल और वैध असहमति के बीच अंतर करना कठिन हो जाता है। राजस्थान के वर्ष 2020 के राजनीतिक संकट ने इसी प्रश्न को प्रमुखता से सामने रखा कि क्या किसी दल के भीतर नेतृत्व के विरुद्ध असहमति व्यक्त करना दल-बदल माना जाना चाहिए। इस संदर्भ में न्यायालयों और संवैधानिक विशेषज्ञों ने यह मत व्यक्त किया कि आंतरिक असहमति को स्वतः दल-बदल नहीं माना जा सकता, जब तक कि विधायक किसी अन्य दल का समर्थन करने या अपनी सदस्यता त्यागने की दिशा में कदम न उठाए।

इसके अतिरिक्त अध्यक्ष द्वारा अयोग्यता संबंधी निर्णयों में होने वाली देरी भी कानून की प्रभावशीलता को प्रभावित करती है। अनेक मामलों में यह आरोप लगाया गया है कि निर्णय प्रक्रिया राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित होती है, जिससे कानून का उद्देश्य कमजोर पड़ सकता है। इसलिए अनेक संवैधानिक विशेषज्ञ यह सुझाव देते हैं कि दल-बदल मामलों के निर्णय हेतु स्वतंत्र न्यायिक अथवा अर्ध-न्यायिक तंत्र की स्थापना की जानी चाहिए।

समग्र रूप से कहा जा सकता है कि दल-बदल विरोधी कानून ने राजनीतिक स्थिरता को सुदृढ़ करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किंतु बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप इसके प्रावधानों और क्रियान्वयन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता बनी हुई है।

4. गुटबंदी और आंतरिक राजनीतिक संघर्ष

राजनीतिक दल लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रमुख संस्थागत आधार होते हैं, जिनके माध्यम से राजनीतिक प्रतिनिधित्व, नेतृत्व निर्माण तथा नीति-निर्माण की प्रक्रियाएँ संचालित होती हैं। तथापि किसी भी राजनीतिक दल के भीतर विभिन्न हितों, विचारों, व्यक्तित्वों तथा नेतृत्व आकांक्षाओं की उपस्थिति स्वाभाविक होती है। जब ये विभिन्न प्रवृत्तियाँ संगठित समूहों या शक्ति-केंद्रों का रूप धारण कर लेती हैं, तब गुटबंदी (Factionalism) की स्थिति उत्पन्न होती है। राजनीतिक विज्ञान में गुटबंदी को किसी राजनीतिक दल के भीतर विद्यमान ऐसे समूहों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो संगठनात्मक नियंत्रण, नेतृत्व, संसाधनों के वितरण अथवा राजनीतिक प्रभाव को लेकर प्रतिस्पर्धा करते हैं (कोठारी, 1970)।

भारतीय राजनीति में गुटबंदी एक दीर्घकालिक और व्यापक प्रवृत्ति रही है। बहुलतावादी सामाजिक संरचना, जातीय विविधता, क्षेत्रीय पहचान तथा व्यक्तित्व-आधारित राजनीति ने राजनीतिक दलों के भीतर विभिन्न शक्ति-केंद्रों के विकास को प्रोत्साहित किया है। कई बार गुटबंदी वैचारिक मतभेदों पर आधारित होती है, किंतु भारतीय राज्यों में यह प्रायः नेतृत्व प्रतिस्पर्धा, चुनावी टिकट वितरण, मंत्री पदों की आकांक्षा तथा राजनीतिक संरक्षण से अधिक प्रभावित होती है (ब्रास, 2010)। राजस्थान जैसे राज्य में, जहाँ राजनीतिक नेतृत्व का व्यक्तित्व और सामाजिक आधार अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, गुटबंदी राजनीतिक दलों की आंतरिक संरचना का एक प्रमुख तत्व रही है।

गुटबंदी लोकतांत्रिक दृष्टि से पूर्णतः नकारात्मक नहीं मानी जाती। सीमित स्तर पर यह आंतरिक लोकतंत्र, विचार-विमर्श और नेतृत्व के वैकल्पिक विकल्पों को प्रोत्साहित कर सकती है। किंतु जब गुटीय प्रतिस्पर्धा संगठनात्मक अनुशासन, निर्णय-निर्माण और शासन व्यवस्था को प्रभावित करने लगती है, तब यह राजनीतिक अस्थिरता का कारण बन जाती है। राजस्थान की राजनीति में गुटबंदी का प्रभाव समय-समय पर सरकारों की स्थिरता, नेतृत्व परिवर्तन और सत्ता-संतुलन की प्रक्रियाओं में स्पष्ट रूप से देखा गया है (सिंह, 2018)।

4.1 कांग्रेस में गुटबंदी के उदाहरण

राजस्थान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लंबे समय तक प्रमुख राजनीतिक शक्ति रही है। स्वतंत्रता के बाद से राज्य की राजनीति में कांग्रेस के प्रभुत्व ने उसके भीतर अनेक क्षेत्रीय एवं नेतृत्व आधारित गुटों के विकास को जन्म दिया। प्रारंभिक दशकों में मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी तथा शिवचरण माथुर जैसे नेताओं के समर्थक समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा देखी गई, जिसने राज्य कांग्रेस की आंतरिक राजनीति को प्रभावित किया (शर्मा, 2016)। यद्यपि इन संघर्षों ने संगठन को पूर्णतः विभाजित नहीं किया, फिर भी उन्होंने नेतृत्व चयन और नीति-निर्माण की प्रक्रियाओं पर प्रभाव डाला।

इक्कीसवीं शताब्दी में कांग्रेस के भीतर गुटबंदी का सबसे प्रमुख उदाहरण अशोक गहलोत और सचिन पायलट के नेतृत्व समूहों के मध्य उभरा संघर्ष है। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की विजय के पश्चात मुख्यमंत्री पद को लेकर उत्पन्न नेतृत्व प्रतिस्पर्धा ने दोनों नेताओं के समर्थकों के बीच स्पष्ट राजनीतिक विभाजन को जन्म दिया। यह प्रतिस्पर्धा वर्ष 2020 में एक गंभीर राजनीतिक संकट के रूप में सामने आई, जब सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों ने नेतृत्व के प्रति असंतोष व्यक्त किया। इस घटनाक्रम ने न केवल कांग्रेस संगठन की आंतरिक चुनौतियों को उजागर किया, बल्कि राज्य सरकार की स्थिरता पर भी प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया (जाफ्रेलोट, 2021)।

कांग्रेस में गुटबंदी के ये उदाहरण यह दर्शाते हैं कि राजनीतिक दलों में नेतृत्व का प्रश्न केवल संगठनात्मक विषय नहीं होता, बल्कि यह सत्ता-संतुलन, संसाधनों के वितरण और राजनीतिक भविष्य से भी जुड़ा होता है। जब संगठनात्मक स्तर पर मतभेदों के समाधान के प्रभावी तंत्र उपलब्ध नहीं होते, तब गुटीय प्रतिस्पर्धा राजनीतिक संकट का रूप धारण कर सकती है।

4.2 भाजपा में गुटीय राजनीति

भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की दूसरी प्रमुख राजनीतिक शक्ति है और राज्य में कांग्रेस के प्रमुख प्रतिद्वंद्वी के रूप में स्थापित रही है। यद्यपि भाजपा संगठनात्मक अनुशासन और कैडर-आधारित संरचना के लिए जानी जाती है, फिर भी राज्य स्तर पर इसके भीतर भी समय-समय पर गुटीय राजनीति देखने को मिली है। राजस्थान भाजपा में विभिन्न नेताओं के समर्थक समूहों के बीच नेतृत्व और संगठनात्मक नियंत्रण को लेकर प्रतिस्पर्धा होती रही है (चतुर्वेदी, 2019)। भैरोंसिंह शेखावत के नेतृत्व काल में भाजपा अपेक्षाकृत एकजुट दिखाई देती थी, किंतु उनके बाद नेतृत्व के नए केंद्र उभरने लगे। वसुंधरा राजे के नेतृत्व में भाजपा ने राज्य में कई चुनावी सफलताएँ प्राप्त कीं, किंतु संगठन और नेतृत्व के बीच शक्ति-संतुलन को लेकर समय-समय पर मतभेद भी सामने आए। राज्य इकाई के भीतर विभिन्न नेताओं और क्षेत्रीय शक्ति-केंद्रों के बीच प्रतिस्पर्धा ने कई अवसरों पर गुटीय राजनीति को जन्म दिया (सक्सेना, 2020)।

भाजपा की गुटीय राजनीति कांग्रेस की तुलना में अपेक्षाकृत नियंत्रित रही है, क्योंकि संगठनात्मक अनुशासन और केंद्रीय नेतृत्व का प्रभाव अधिक मजबूत माना जाता है। फिर भी उम्मीदवार चयन, संगठनात्मक नियुक्तियों तथा नेतृत्व परिवर्तन जैसे मुद्दों पर आंतरिक मतभेद उभरते रहे हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि गुटबंदी केवल व्यक्तिवादी दलों तक सीमित नहीं है, बल्कि मजबूत संगठनात्मक संरचना वाले दलों में भी विभिन्न शक्ति-केंद्रों के रूप में मौजूद रह सकती है।

4.3 क्षेत्रीय नेतृत्व एवं शक्ति-संतुलन

राजस्थान की राजनीति में क्षेत्रीय नेतृत्व और शक्ति-संतुलन का प्रश्न अत्यंत महत्त्वपूर्ण रहा है। राज्य का विशाल भौगोलिक क्षेत्र, सामाजिक विविधता तथा क्षेत्रीय असमानताएँ विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं को विशिष्ट राजनीतिक आधार प्रदान करती हैं। मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती, शेखावाटी, ढूंढाड़ तथा पूर्वी राजस्थान जैसे क्षेत्रों से जुड़े नेताओं ने समय-समय पर राज्य की राजनीति में प्रभावशाली भूमिका निभाई है (मीणा, 2017)।

क्षेत्रीय नेतृत्व के उदय से राजनीतिक प्रतिनिधित्व को मजबूती मिलती है, किंतु कई बार यह शक्ति-संतुलन के प्रश्न को जटिल भी बना देता है। राजनीतिक दलों को विभिन्न क्षेत्रों, जातीय समूहों तथा सामाजिक वर्गों के बीच संतुलन बनाए रखना पड़ता है। मुख्यमंत्री पद, मंत्रिमंडल गठन तथा संगठनात्मक नियुक्तियों में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को महत्त्व देने की परंपरा इसी राजनीतिक आवश्यकता का परिणाम है। जब किसी क्षेत्र या समूह को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, तब असंतोष और गुटबंदी की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं (यादव, 2019)।

राजस्थान में कई अवसरों पर क्षेत्रीय नेतृत्व ने राजनीतिक दलों के भीतर शक्ति-संतुलन को प्रभावित किया है। विभिन्न नेताओं के समर्थन आधार और क्षेत्रीय प्रभाव ने नेतृत्व प्रतिस्पर्धा को आकार दिया है। परिणामस्वरूप राजनीतिक निर्णय केवल वैचारिक या संगठनात्मक आधार पर नहीं, बल्कि क्षेत्रीय

समीकरणों और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखकर भी लिए जाते हैं। इस प्रकार क्षेत्रीय नेतृत्व राजस्थान की राजनीति में गुटबंदी और सत्ता-संघर्ष को समझने का एक महत्त्वपूर्ण आयाम है।

4.4 गुटबंदी का शासन-प्रशासन पर प्रभाव

गुटबंदी का प्रभाव केवल राजनीतिक दलों की आंतरिक संरचना तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह शासन और प्रशासन की कार्यप्रणाली को भी प्रभावित करता है। जब राजनीतिक नेतृत्व विभिन्न गुटों में विभाजित हो जाता है, तब सरकार का ध्यान जनकल्याणकारी नीतियों और विकासात्मक कार्यक्रमों के बजाय आंतरिक शक्ति-संतुलन बनाए रखने पर केंद्रित हो सकता है। इससे निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है तथा प्रशासनिक दक्षता प्रभावित होती है (अरोड़ा एवं गोयल, 2020)।

राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में ऐसे अनेक अवसर आए हैं जब गुटीय संघर्षों ने शासन व्यवस्था पर प्रत्यक्ष प्रभाव डाला। राजनीतिक संकटों के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार, प्रशासनिक नियुक्तियों तथा नीतिगत निर्णयों में विलंब देखा गया है। नौकरशाही भी ऐसी परिस्थितियों में अनिश्चितता का अनुभव करती है, क्योंकि नेतृत्व परिवर्तन अथवा शक्ति-संतुलन में बदलाव प्रशासनिक प्राथमिकताओं को प्रभावित कर सकता है। परिणामस्वरूप प्रशासनिक निरंतरता और जवाबदेही कमजोर पड़ सकती है (सिंह एवं शर्मा, 2021)।

गुटबंदी का एक अन्य प्रभाव लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जनविश्वास में कमी के रूप में दिखाई देता है। जब राजनीतिक दल आंतरिक संघर्षों में उलझे रहते हैं, तब जनता में यह धारणा विकसित हो सकती है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक हित के बजाय व्यक्तिगत या गुटीय हितों को प्राथमिकता दे रहा है। इससे लोकतांत्रिक वैधता और राजनीतिक उत्तरदायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र, पारदर्शिता तथा संवाद की संस्कृति को सुदृढ़ करना राजनीतिक स्थिरता और सुशासन के लिए आवश्यक माना जाता है (कोठारी, 1970)।

अतः राजस्थान विधानसभा की राजनीति का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि गुटबंदी केवल संगठनात्मक प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक स्थिरता, शासन-प्रशासन की प्रभावशीलता तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। राज्य की राजनीतिक अस्थिरता को समझने के लिए गुटीय राजनीति और आंतरिक संघर्षों का अध्ययन एक अपरिहार्य विश्लेषणात्मक आधार प्रदान करता है।

5. राजनीतिक अस्थिरता के व्यापक प्रभाव (Broader Implications of Political Instability)

राजनीतिक स्थिरता किसी भी राज्य की प्रशासनिक दक्षता और सुशासन की आधारशिला मानी जाती है। जब राजनीतिक व्यवस्था अस्थिरता की स्थिति से गुजरती है, तब इसका प्रत्यक्ष प्रभाव शासन एवं प्रशासन की कार्यप्रणाली पर पड़ता है। राजनीतिक अस्थिरता के दौरान सरकार का प्रमुख ध्यान जनकल्याणकारी कार्यक्रमों, विकास योजनाओं तथा प्रशासनिक सुधारों के स्थान पर सत्ता-संतुलन बनाए रखने, विधायकों के समर्थन को सुरक्षित रखने तथा राजनीतिक संकटों के समाधान पर केंद्रित हो जाता है। परिणामस्वरूप प्रशासनिक निर्णयों की गति धीमी पड़ जाती है और शासन व्यवस्था की प्रभावशीलता प्रभावित होती है (हंटिंगटन, 1968)। राजस्थान के संदर्भ में राजनीतिक अस्थिरता के विभिन्न चरणों में यह देखा गया है कि नेतृत्व संघर्ष और गुटीय प्रतिस्पर्धा के कारण प्रशासनिक तंत्र में अनिश्चितता उत्पन्न होती है। नौकरशाही सामान्यतः राजनीतिक नेतृत्व की प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्य करती है, किंतु जब नेतृत्व की स्थिरता संदिग्ध हो जाती है, तब प्रशासनिक अधिकारियों के निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। कई बार महत्वपूर्ण प्रशासनिक नियुक्तियाँ, स्थानांतरण तथा नीतिगत निर्णय राजनीतिक परिस्थितियों के कारण विलंबित हो जाते हैं। इससे प्रशासनिक निरंतरता और उत्तरदायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है (अरोड़ा एवं गोयल, 2020)।

इसके अतिरिक्त राजनीतिक अस्थिरता शासन की वैधता और निर्णयों की स्वीकार्यता को भी प्रभावित करती है। यदि सरकार लगातार राजनीतिक संकटों से घिरी रहती है, तो उसकी नीतियों और प्रशासनिक निर्णयों के प्रति जनता तथा विभिन्न हितधारकों का विश्वास कम हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों

©The Research Dialogue | Received: 10 July 2026 | Accepted: 18 July 2026 | Published: 20 July 2026

में शासन का ध्यान दीर्घकालिक विकासात्मक लक्ष्यों के बजाय अल्पकालिक राजनीतिक प्रबंधन पर केंद्रित हो जाता है, जिससे सुशासन की अवधारणा कमजोर पड़ती है (कश्यप, 2019)।

5.1 नीति-निर्माण एवं विकास कार्यक्रमों पर प्रभाव

राजनीतिक अस्थिरता का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव नीति-निर्माण की प्रक्रिया पर पड़ता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में विकास योजनाओं और सार्वजनिक नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजनीतिक नेतृत्व की निरंतरता और स्पष्ट नीति-दृष्टि आवश्यक होती है। जब सरकार राजनीतिक संकटों में उलझी रहती है, तब दीर्घकालिक योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन की प्रक्रिया प्रभावित होती है। नीति-निर्माण में अनिश्चितता उत्पन्न होने से प्रशासनिक एजेंसियों और विकास संस्थानों के समक्ष भी कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियाँ बढ़ जाती हैं (ईस्टन, 1965)।

राजस्थान में राजनीतिक अस्थिरता के दौरान कई बार विकासात्मक प्राथमिकताएँ राजनीतिक समीकरणों के अधीन होती दिखाई देती हैं। सरकारें अपने राजनीतिक अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए अल्पकालिक निर्णयों और लोकप्रिय घोषणाओं को प्राथमिकता दे सकती हैं, जबकि दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधारों को अपेक्षित महत्त्व नहीं मिल पाता। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जल संसाधन तथा आधारभूत संरचना जैसे क्षेत्रों में योजनाओं की निरंतरता प्रभावित हो सकती है (सिंह, 2018)। इसके अतिरिक्त राजनीतिक अस्थिरता निवेश और विकास परियोजनाओं के वातावरण को भी प्रभावित करती है। निजी और सार्वजनिक निवेशक सामान्यतः ऐसी राजनीतिक परिस्थितियों को प्राथमिकता देते हैं जहाँ नीति-निर्माण में स्थिरता और पूर्वानुमेयता हो। बार-बार उत्पन्न होने वाले राजनीतिक संकट निवेशकों के विश्वास को कमजोर कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक विकास की गति प्रभावित हो सकती है। इस प्रकार राजनीतिक अस्थिरता केवल राजनीतिक व्यवस्था तक सीमित नहीं रहती, बल्कि विकास प्रशासन और सार्वजनिक नीति की प्रभावशीलता पर भी गहरा प्रभाव डालती है (जाफ्रेलोट, 2018)।

5.2 जनविश्वास एवं लोकतांत्रिक संस्थाओं पर प्रभाव

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की सफलता नागरिकों के विश्वास और सहभागिता पर आधारित होती है। राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में जब दल-बदल, गुटबंदी और सत्ता-संघर्ष जैसी घटनाएँ बार-बार सामने आती हैं, तब जनता के मन में राजनीतिक नेतृत्व और लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता के प्रति संदेह उत्पन्न हो सकता है। मतदाता अपने प्रतिनिधियों से अपेक्षा करते हैं कि वे जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता दें, किंतु जब राजनीतिक गतिविधियाँ मुख्यतः सत्ता-संघर्ष तक सीमित दिखाई देती हैं, तब लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति निराशा बढ़ सकती है (वर्मा, 2022)।

राजनीतिक अस्थिरता का प्रभाव विशेष रूप से विधानसभा, राजनीतिक दलों तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों की सार्वजनिक छवि पर पड़ता है। यदि विधायकों द्वारा बार-बार राजनीतिक निष्ठा बदली जाती है अथवा दलीय संघर्षों के कारण शासन बाधित होता है, तो नागरिकों का विश्वास कम हो सकता है कि लोकतांत्रिक संस्थाएँ प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं। इससे राजनीतिक उदासीनता, मतदान में कमी तथा लोकतांत्रिक सहभागिता में गिरावट जैसी प्रवृत्तियाँ विकसित हो सकती हैं (कोठारी, 1970)।

दूसरी ओर, राजनीतिक अस्थिरता लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती की परीक्षा भी होती है। न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, विधानसभा अध्यक्ष तथा संवैधानिक प्रक्रियाएँ ऐसे समय में राजनीतिक विवादों के समाधान में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यदि ये संस्थाएँ निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से कार्य करती हैं, तो लोकतंत्र की वैधता बनी रहती है। अतः राजनीतिक अस्थिरता लोकतांत्रिक संस्थाओं के समक्ष चुनौती होने के साथ-साथ उनकी संस्थागत क्षमता का परीक्षण भी है (कश्यप, 2019)।

6. निष्कर्ष एवं सुझाव

6.1 अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष: प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य राजस्थान विधानसभा में राजनीतिक अस्थिरता के प्रमुख कारकों—दल-बदल, गुटबंदी तथा सत्ता-संघर्ष—का विश्लेषण करना था। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान की राजनीति यद्यपि मुख्यतः द्विदलीय प्रतिस्पर्धा पर आधारित

रही है, फिर भी समय-समय पर उत्पन्न आंतरिक राजनीतिक संघर्षों ने शासन की स्थिरता और प्रभावशीलता को प्रभावित किया है। राजनीतिक अस्थिरता केवल सरकारों के गठन और पतन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक दलों की आंतरिक संरचना, नेतृत्व संबंधों तथा शक्ति-संतुलन की प्रक्रियाओं से भी गहराई से जुड़ी हुई है। अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ कि राजस्थान में दल-बदल की घटनाएँ अन्य कुछ राज्यों की तुलना में अपेक्षाकृत कम रही हैं, किंतु जब भी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं, उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था में व्यापक अनिश्चितता पैदा की। गुटबंदी और नेतृत्व प्रतिस्पर्धा राज्य की राजनीति के ऐसे स्थायी तत्व रहे हैं जिन्होंने कई अवसरों पर राजनीतिक संकटों को जन्म दिया। विशेष रूप से वर्ष 2020 का राजनीतिक घटनाक्रम इस तथ्य को रेखांकित करता है कि राजनीतिक अस्थिरता का स्रोत केवल विपक्षी दल नहीं होते, बल्कि सत्तारूढ़ दल के भीतर विद्यमान मतभेद भी सरकार की स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं।

अध्ययन यह भी इंगित करता है कि राजनीतिक अस्थिरता के प्रभाव बहुआयामी हैं। इसका प्रभाव शासन एवं प्रशासन की कार्यकुशलता, नीति-निर्माण की निरंतरता, विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, जनविश्वास तथा आर्थिक और सामाजिक विकास पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। इसलिए राजनीतिक स्थिरता को केवल राजनीतिक आवश्यकता नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक शासन और सतत विकास की अनिवार्य शर्त के रूप में देखा जाना चाहिए।

6.2 दल-बदल विरोधी कानून को सुदृढ़ बनाने के सुझाव

दल-बदल विरोधी कानून ने भारतीय राजनीति में राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किंतु बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कुछ सुधार आवश्यक हैं। सबसे पहले, दल-बदल संबंधी मामलों के निस्तारण के लिए निश्चित समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। वर्तमान व्यवस्था में कई बार अयोग्यता संबंधी निर्णयों में विलंब होने से राजनीतिक अनिश्चितता बनी रहती है और कानून का उद्देश्य कमजोर पड़ जाता है।

दूसरे, दल-बदल संबंधी मामलों के निर्णय का अधिकार केवल विधानसभा अध्यक्ष तक सीमित रखने के बजाय किसी स्वतंत्र न्यायिक अथवा अर्ध-न्यायिक निकाय को सौंपने पर विचार किया जा सकता है। इससे निर्णय प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता में वृद्धि होगी। अनेक संवैधानिक विशेषज्ञों ने इस प्रकार की व्यवस्था का समर्थन किया है ताकि राजनीतिक पक्षपात की संभावनाओं को कम किया जा सके।

तीसरे, दल-बदल और वैध राजनीतिक असहमति के मध्य स्पष्ट अंतर निर्धारित किया जाना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति आवश्यक है; इसलिए प्रत्येक असहमति को दल-बदल के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। कानून का उद्देश्य अवसरवादी राजनीतिक व्यवहार को रोकना होना चाहिए, न कि लोकतांत्रिक विमर्श को सीमित करना। इसके अतिरिक्त राजनीतिक दलों को भी अपने भीतर संवाद और असहमति के लिए संस्थागत मंच उपलब्ध कराने चाहिए।

6.3 राजनीतिक स्थिरता के लिए नीतिगत अनुशंसाएँ

राजस्थान विधानसभा में राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बहुआयामी नीतिगत प्रयासों की आवश्यकता है। सबसे पहले राजनीतिक दलों में संगठनात्मक पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नेतृत्व चयन और संगठनात्मक निर्णयों में व्यापक सहभागिता राजनीतिक असंतोष को कम कर सकती है।

दूसरे, निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए राजनीतिक नैतिकता और जनप्रतिनिधिक उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करने वाले प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण कार्यक्रम विकसित किए जाने चाहिए। इससे जनादेश की भावना और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता मजबूत होगी। राजनीतिक दलों को भी वैचारिक आधार और संगठनात्मक अनुशासन को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य करना चाहिए।

तीसरे, विधानसभा और अन्य लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। राजनीतिक विवादों के समाधान के लिए संवाद, मध्यस्थता और संस्थागत परामर्श की प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि राजनीतिक संकटों का समाधान संवैधानिक और लोकतांत्रिक ढंग से किया जा सके।

चौथे, राजनीतिक स्थिरता और विकास के मध्य संबंध को ध्यान में रखते हुए शासन की निरंतरता, नीति-निर्माण की स्थिरता तथा प्रशासनिक निष्पक्षता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। राज्य सरकारों को दीर्घकालिक विकास योजनाओं को राजनीतिक परिवर्तनों से अपेक्षाकृत मुक्त रखने की व्यवस्था विकसित करनी चाहिए, जिससे विकास कार्यक्रमों की निरंतरता बनी रहे।

संदर्भ सूची

अरोड़ा, बलवीर, एवं गोयल, ओ. पी. (2020). *भारतीय राजनीति और शासन.* नई दिल्ली: ओरिएंट ब्लैकस्वान।

ब्रास, पॉल आर. (1991). *एथनिसिटी एंड नेशनलिज़्म: थ्योरी एंड कम्पैरिजन.* नई दिल्ली: सेज पब्लिकेशन्स.

ब्रास, पॉल आर. (1994). *द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिन्स इंडिपेंडेन्स.* कैम्ब्रिज: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस.

चिब्बर, प्रदीप. (1999). *डेमोक्रेसी विदाउट एसोसिएशन्स: ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पार्टी सिस्टम एंड सोशल क्लिवेजेस इन इंडिया.* एन आर्बर: यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन प्रेस.

डाउन्स, एंथनी. (1957). *एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी.* न्यूयॉर्क: हार्पर एंड रो.

ईस्टन, डेविड. (1965). *ए सिस्टम्स एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ.* न्यूयॉर्क: जॉन वाइली एंड सन्स।

हसन, ज़ोया (सम्पा.). (2002). *पार्टीज़ एंड पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया.* नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

हंटिंगटन, सैमुअल पी. (1968). *पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज़.* न्यू हेवन: येल यूनिवर्सिटी प्रेस.

जाफ्रेलोट, क्रिस्टोफ़. (2003). *इंडियाज़ साइलेंट रिवोल्यूशन: द राइज़ ऑफ लोअर कास्ट्स इन नॉर्थ इंडिया.* नई दिल्ली: परमानेंट ब्लैक.

जाफ्रेलोट, क्रिस्टोफ़. (2018). *द बीजेपी एंड द कम्पल्शन्स ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया.* नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

कश्यप, सुभाष सी. (2003). *एंटी-डिफेक्शन लॉ एंड पार्लियामेंटरी प्रिविलेजेज.* नई दिल्ली: यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग.

कश्यप, सुभाष सी. (2004). *आवर पार्लियामेंट.* नई दिल्ली: नेशनल बुक ट्रस्ट.

कश्यप, सुभाष सी. (2019). *भारतीय शासन और राजनीति.* नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन।

कोचनैक, स्टेनली ए. (1968). *द कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया: द डायनेमिक्स ऑफ वन-पार्टी डेमोक्रेसी.* प्रिंसटन: प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस.

कोठारी, रजनी. (1964). The Congress System in India. *Asian Survey, 4*(12), 1161–1173.

कोठारी, रजनी. (1970). *कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स.* नई दिल्ली: ओरिएंट लॉन्गमैन.

कोठारी, रजनी. (1970). *पॉलिटिक्स इन इंडिया.* नई दिल्ली: ओरिएंट लॉन्गमैन.

कोठारी, रजनी. (1988). *स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी: इन सर्च ऑफ ह्यूमेन गवर्नेंस.* दिल्ली: अजन्ता पब्लिकेशन्स. कोहली, अतुल. (1990). *डेमोक्रेसी एंड डिसकॉन्टेंट: इंडियाज़ ग्रोइंग क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी.* कैम्ब्रिज: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस.

मल्होत्रा, जी. सी. (2002). *फिफ्टी इयर्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट.* नई दिल्ली: लोकसभा सचिवालय.

मेहरा, अजय के., खन्ना, डी. डी., एवं क्युक, गर्ट डब्ल्यू. (सम्पा.). (2003). *पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड पार्टी सिस्टम्स.* नई दिल्ली: सेज पब्लिकेशन्स.

वीनर, मायरन. (1957). *पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया: द डेवलपमेंट ऑफ अ मल्टी-पार्टी सिस्टम.* प्रिंसटन: प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस.

वीनर, मायरन. (1967). *पार्टी बिल्डिंग इन अ न्यू नेशन: द इंडियन नेशनल कांग्रेस.* शिकागो: यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस.

यादव, योगेन्द्र, एवं पलशीकर, सुहास (सम्पा.). (2003). *पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड इलेक्शन्स इन इंडियन स्टेट्स.* पुणे: इंडियन स्कूल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी.

Cite this Article:

मीना, नितिन कुमार.(2026). राजस्थान विधानसभा में राजनीतिक अस्थिरता के कारक: दल-बदल, गुटबंदी और सत्ता-संघर्ष का अध्यय . The Research Dialogue, 5(2), 365–376., Volume-05, Issue-02, July-2026. DOI: https://doi.org/10.64880/theresearchdialogue.v5i2.38

This is an Open cess Journal / article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC-ND 3.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. All rights reserved.

Disclaimer/Publisher's Note: The views, findings, and opinions expressed in this publication are solely those of the author(s). The publisher and editorial team are not responsible for any errors, claims, or consequences arising from the use of the published content.

CERTIFICATE

of Publication

This Certificate is proudly presented to

निितन कुमार मीना

राजस्थान विधानसभा में राजनीतिक अस्थिरता के कारक: दल-बदल, गुटबंदी और सत्ता-संघर्ष का अध्ययन

Dialogue' Peer-Reviewed / Refereed Research Journal and E-ISSN: 2583-438X, Volume-05, Issue-02, Month July, Year-2026, Impact Factor (RPRI-4.73/ 6.79)

Dr. Lohans Kumar Kalyani
Editor- In-chief

Dr. Neeraj Yadav
Executive-In-Chief- Editor

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at: https://theresearchdialogue.com/

DOI : https://doi.org/10.64880/theresearchdialogue.v5i2.38